

## झारखंड कैबिनेट की बैठक में ट्रांसजेंडरों को पछिड़ा वर्ग में शामिल करने समेत 34 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई

### चर्चा में क्यों?

- 6 सितंबर, 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 34 प्रस्तावों सहित ट्रांसजेंडर समुदाय को पछिड़े वर्ग में शामिल करने पर मुहर लगी।

### प्रमुख बंदि

- मंत्रिमंडल ने सामाजिक सहायता योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिये मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में प्रति महीने एक हजार रुपए मिलेंगे।
- महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुसार, झारखंड में 2011 में करीब 11,900 ट्रांसजेंडर थे। वर्तमान में इनकी संख्या करीब 14,000 हो गयी है।
- इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में राज्य के 12 जिलों में कार्यरत 2500 सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा एक साल बढ़ाने की स्वीकृति दी है। पहले सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा छह साल के लिये थी। इसे सात साल के लिये कर दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त आठवीं कक्षा में पढ़नेवाले वदियार्थियों को साइकल खरीद का पैसा उनके खाते में डीबीटी से देने की स्वीकृति दी है।
- कैबिनेट की बैठक में पुलिस पदाधिकारियों को झारखंड स्थापना दविस के मौके पर दिये जानेवाले पुलिस पदक की चयन प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। पहले मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी चयन करती थी। अब गृह सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी तय करेगी।
- कैबिनेट ने तय किया है कि अब झारखंड प्रशासनिक सेवा की सीमिति परीक्षा में अनुकंपा पर नयिकृत कर्मी भी शामिल हो सकेंगे। इसके लिये सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा नियमावली-2015 में संशोधन किया है।
- झारखंड कैबिनेट ने तय किया है कि राज्य के वित्त रहति शैक्षणिक संस्थानों को नैक ग्रेडिंग के आधार पर ही अनुदान मलिया। इसमें छात्र संख्या और ग्रेडिंग को आधार बनाया है।
- अगर कसी छात्रों की संख्या 2001 से अधिक है और नैक का ए ग्रेडिंग है, उसे 30 लाख रुपए तक अनुदान मलिया। जबकि सबसे न्यूनतम वदियार्थी संख्या 200 से 500 होने और ग्रेड सी होने पर चार लाख रुपए अनुदान मलिया।
- नरिवाचन संबंधी कार्य से अलग कर्तव्य नरिवहन झारखंड राज्य में प्रतनियिकृत अर्द्ध सैनिक बल को मलियेवाले अनुदान में संशोधन किया गया है।
- इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
  - स्वास्थ्य विभाग में नदिशक आयुष का भरती नियमावली को मंजूरी।
  - कांची सचिाई योजना के लिये ईचागढ़ नहर के पुनरस्थापन के लिये 63.56 करोड़ प्रशासनिक स्वीकृति।
  - आशुलपिकि की नयिकृति एवं प्रोननत नियमावली-2023 के गठन को स्वीकृति।
  - मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन एवं भत्ते सेवा शर्तों के बंधेज नरिवाचन में संशोधन।
  - झारखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा संवर्ग नियमावली-2018 को संशोधति कर 2023 का गठन किया गया।
  - जल संसाधन में शोध सहायक कर्मियों के लिये भरती एवं प्रोननत नियमावली को स्वीकृति।
  - झारखंड राज्य औषधि जाँच प्रयोगशाला नियमावली-2023 के गठन को स्वीकृति।
  - नदिशक औषधि जाँच प्रयोगशाला नियमावली-2023 को स्वीकृति।
  - नदिशक औषधि झारखंड नियमावली-2023 को स्वीकृति।
  - झारखंड पंचायत सचिव नियमावली-2014 में संशोधन।
  - झारखंड कशोर न्याय नियमावली-2003 के तहत रांची एवं पूर्वी सहिभूम में एक-एक अतिरिक्त कशोर न्याय बोर्ड के गठन को स्वीकृति।
  - झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में सविलि जज के 28 न्यायिक पदाधिकारियों को ज़िला जज में स्वीकृति।

